यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के माह 11/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.04.2017 से 03.05.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी.एस.नेगी व श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.11.2015 से 04.12.2015 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2010 से 10/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, उत्तरकाशी

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	113.63	113.63	963.15	750.17	-	-
2015-16	-	-	100.00	100.00	1397.98	1350.15	-	-
2016-17	-	-	0.00	0.00	1891.09	1818.90	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैःशून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'बी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढवाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तर-1</u> ₹ 01.38 लाख का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2015 के नियम 9 के अनुसार "प्रत्येक अवसर पर ₹ 50,000 से अधिक तथा ₹ 3,00,000 तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय कार्यालय अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है"।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के लिए मद संख्या-12 'फर्नीचर व्यय' में वर्ष 2016-17 के लिए कुल ₹ 300000 आवंटित थे, जिसके सापेक्ष ₹138400 का क्रय, क्रय समिति के गठन की प्रक्रिया से बचने हेतु टुकडों में यूनीवर्सल फर्नीचर, उत्तरकाशी से किया गया। विवरण निम्न है-

फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि (₹ में)
यूनीवर्सल फर्नीचर, उत्तरकाशी	226	15.03.2016	39,000
यूनीवर्सल फर्नीचर, उत्तरकाशी	230	16.03.2016	39,000
यूनीवर्सल फर्नीचर, उत्तरकाशी	232	17.03.2016	40,000
यूनीवर्सल फर्नीचर, उत्तरकाशी	235	17.03.2016	20,400
योग			1,38,400

उपरोक्त क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2015 के नियम 09 का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त सामग्री जिलाधिकारी महोदय के मौखिक निर्देशानुसार तात्कालिक प्रभाव से क्रय की गयी है, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमावली का अनुपालन न किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तर-02 </u>रु 55,589 की सामग्री का निष्प्रयोज्य पड़ा रहना।

सामान्य वित्तीय नियम -2005 के पैरा 196 एवं 197 वस्तुओं (जिनकी मरम्मत न की जा सकें) को सक्षम अधिकारी द्वारा समिति बनाकर एवं तकनीकी सामग्री को तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित करके शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिला उत्तरकाशी के निष्प्रयोज्य सामग्री से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय में रु 55589 की सामग्री निष्प्रयोज्य पड़ी है, सामग्री निष्प्रयोज्य होने के कारण अनावश्यक रुप से कार्यालय में स्थान का घेराव हो रहा है, तथा मूल्य का हास हो रहा है, जिसे शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तर-03</u> रु 525.47 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना।

जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 2016-17 प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों के मरम्मत/पुननिर्माण हेतु कुल स्वीकृत कार्ययोजनाओं हेतु विभिन्न विभागों को रु 1399.49 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। उपरोक्त धनराशि में से इकाई द्वारा उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार निम्नलिखित विभागों द्वारा लेखा परीक्षा तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया थाः-

क्र.स.	विभाग का नाम	अवमुक्त धनराशि (रु लाख में)
1.	जिला पंचायत, उत्तरकाशी	127.58
2.	ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	63.74
3.	सिंचाई खण्ड, पुरोला	63.00
4.	खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव	30.18
5.	लघु सिंचाई सेवा प्रखण्ड, उत्तरकाशी	24.83
6.	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	73.44
7.	निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.चिनियालीसौड.	122.00
8.	खण्ड विकास अधिकारी, मोरी	20.70
	कुल -	525.47 लाख

इस प्रकार दैवीय आपदा में (वर्ष 2016-17) में कुल अवमुक्त धनराशि रु 1399.49 लाख के सापेक्ष रु 525.47 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र इकाई को प्राप्त नही हुए थे।

प्रकरण उच्च अधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर-1</u>अनियमित व्यय रु 4200/-

कार्यालय जिला अधिकारी, उत्तरकाशी के वाहन संख्या UK-10/73 की लॉगबुक की जांच में पाया गया कि माह 08/2016 में लॉग बुक के अनुसार भराये गए ईधन का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

दिनांक	भराया गया ईधन
06.08.2016	55 लीटर
16.08.2016	36 लीटर
27.08.2016	55 लीटर
कुल -	146 लीटर

जबकि माह अगस्त 2016 की समरी के अनुसार माह में क्रय किया गया ईधन 230 लीटर दर्शाया गया इस प्रकार कुल 84 लीटर का अन्तर पाया गया जिसका मूल्य लगभग 84*50= 4200 रुपये है।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित वाहन चालक से स्पष्टिकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को सूचित किया जाएगा।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-38/2010-11	03	01
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-41/2015-16	शून्य	02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-38/2010-11	भाग-2 'अ' प्रस्तर-03 एवं भाग-2 'ब' प्रस्तर-01	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा		
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-41/2015-16	भाग-2 'ब' प्रस्तर-02			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री विनय शंकर पाण्डेय	जिलाधिकारी	19.10.2015	13.04.2016
2.	श्री श्रीधर बाबू आद्दांकी	जिलाधिकारी	14.04.2016	28.05.2016
3.	श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी	जिलाधिकारी	03.06.2016	08.12.2016
4.	श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव	जिलाधिकारी	12.12.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र